



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 234 राँची, सोमवार,

18 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 मई, 2026

संख्या-5/आरोप-01-06/2022 का.-35978 (HRMS)--राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 318(9)/रा०, दिनांक- 04.02.2022 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, चतरा के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री जय वर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र०-71/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा के विरुद्ध मुख्यतः निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

“(क) वशिष्टनगर थानान्तर्गत मौजा-करमाली के खाता संख्या-1, प्लॉट संख्या-2 में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल झाड़ी से संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए खनन पट्टा हेतु आवेदित भूमि को टांड-1। रैयती मान्यता प्राप्त तथा क्षेत्र वन सीमा से बाहर बताने एवं अनुशंसा करने,

(ख) तथ्यों को छुपाना/राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, हंटरगंज द्वारा प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन का पर्यवेक्षण ठीक से नहीं करना एवं खनन पट्टा हेतु अनुशंसा करने,

(ग) वरीय पदाधिकारी को गलत मंशा से प्रतिवेदन भेजने,

(घ) दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतना।”

2. उपरोक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 19428(HRMS), दिनांक- 04.03.2023 के द्वारा श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र०-71/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
3. विभागीय कार्यवाही के उपरांत जाँच निष्कर्ष का प्रेषण विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक-429, दिनांक- 29.04.2025 के द्वारा की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव के द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक- 4019, दिनांक-08.07.2025 के द्वारा श्री जयवर्द्धन कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को वापस करते हुए मुख्य सचिव के पृच्छात्मक निदेश के आलोक में विधिवत् जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी से किया गया।
5. श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक- 541, दिनांक- 14.07.2025 के द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन इस विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत मंतव्य/निष्कर्ष अंकित किया गया:-

“उपरोक्त तथ्यों एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित साक्ष्य व दस्तावेज, उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित पक्ष प्रतिवेदन, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये मंतव्य, Government Record, भूमि के स्वरूप व किस्म के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा WP(C) No.- 2900/2007 में पारित आदेश, The Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Record) Act 1973 के धारा- 3 के आलोक में पंजी II को continuous खतियान और Tenant Ledger को वैधानिक सरकारी दस्तावेज की प्रमाणिकता तथा उपायुक्त, चतरा द्वारा महाधिवक्ता के मंतव्य के उपरान्त मंतव्य से सहमत होकर खनन कार्य की स्वीकृति प्रमाणित करता है कि आरोपी पदाधिकारी श्री जयवर्द्धन कुमार, तदेन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा, सम्प्रति अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है एवं आरोपी पदाधिकारी का कृत वैधानिक विधिसम्मत व उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित नहीं होता है।

अतः आरोपी पदाधिकारी श्री जयवर्द्धन कुमार, तदेन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा, सम्प्रति अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ का आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि इनके विरुद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होता है।”

इस प्रकार समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा श्री जयवर्द्धन कुमार के विरुद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

6. श्री जयवर्द्धन कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत साक्ष्यों को प्रदर्श(Exhibit) करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए पुनः जाँच करने तथा विभागीय कार्यवाही हेतु श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त झां०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को नामित करने एवं मूल अभिलेख को वापस करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 614, दिनांक-03.02.2026 के द्वारा मूल अभिलेख श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त झां०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करने हेतु जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

7. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-642, दिनांक-16.04.2026 के द्वारा पुनः सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें निम्नवत् मंतव्य/निष्कर्ष अंकित किया गया:-

“उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री जयवर्द्धन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज के विरुद्ध लगाए गए आरोपों, उनके बचाव-बयान, उपलब्ध अभिलेखों, गवाहों के साक्ष्य तथा विभागीय मंतव्यों का सम्यक्, निष्पक्ष एवं समेकित परीक्षण करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष उभरकर सामने आता है-

- यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि आरोपित द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन अधीनस्थ राजस्व कर्मियों एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन पर आधारित था, जिसमें संबंधित भूमि को वन भूमि नहीं माना गया था। अतः श्री कुमार ने स्वविवेक से किसी तथ्य को तोड़ा मरोड़ा या छिपाया नहीं हैं।

- भूमि की अभिलेखीय प्रविष्टि (जंगल-झाड़ी) एवं वास्तविक भौतिक उपयोग (टांड) के बीच विद्यमान अंतर के कारण उत्पन्न व्याख्यात्मक अस्पष्टता इस प्रकरण का मूल कारण है, जो परवर्ती उपायुक्त के द्वारा इनके स्थानांतरण के तीन वर्ष बाद महाधिवक्ता से मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किए पत्र इस बात की पुष्टि करती हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में लिया गया निर्णय एक प्रशासनिक विवेक (administrative discretion) के अंतर्गत आता है, न कि कदाचार की श्रेणी में।

- अपर समाहर्ता, चतरा द्वारा स्थल निरीक्षण वन विभाग द्वारा भूमि को वन भूमि नहीं माने जाने की स्थिति तथा महाधिवक्ता, झारखंड की विधिक राय - ये सभी तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि आरोपित द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथ्यपरक एवं अभिलेख-आधारित था।

- गवाहों के साक्ष्य में भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया गया, जिससे यह सिद्ध हो कि आरोपित ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया या भ्रामक जानकारी दी अथवा किसी प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कृत्य किया।

- प्रस्तुत मामले के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है की झारखंड लघु खनिज समुदान अधिनियम अंतर्गत के सुसंगत प्रावधान (नियम 9 के उपनियम 4, नियम 11 के क एवं ख) का जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा नहीं करने के लिए तत्कालीन अंचल अधिकारी को उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत नहीं हैं।

- आरोपित के विरुद्ध "लापरवाही" अथवा "कदाचार" का आरोप प्रमाणित करने हेतु आवश्यक तत्व—जैसे दुर्भावना, जानबूझकर तथ्य छिपाना, या स्पष्ट कर्तव्य-उल्लंघन का प्रमाण नहीं मिलता है।

अतः, समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक विश्लेषण के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आरोपित पदाधिकारी श्री जयवर्द्धन कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोप संलग्न साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होते हैं।"

8. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 318(9)/रा०, दिनांक- 04.02.2022 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, चतरा के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री जयवर्द्धन कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप से श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र०-71/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

9. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र०-71/20) एवं अन्य संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JAIBARDHAN KUMAR 20080400086	विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 318(9)/रा०, दिनांक- 04.02.2022 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, चतरा के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री जयवर्द्धन कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप से श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र०-71/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
